परिवाद संख्या : 84/2018 (CIS No.98/2018)
हरिओमसिंह बनाम मनोहरसिंह एवं अन्य
आदेश दिनांक : 01.06.2018

01.06.2018

परिवादी अधिवक्ता श्री भगवतीलाल टांक उपस्थित। परिवादी अधिवक्ता को इस परिवाद के संबंध में सुना गया।

परिवादी की ओर से धारा 452, 427, 447, 384, 323, 120बी. भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिवादी दिनांक 24.03.18 को न्यायालय में पेश किया गया। परिवादी की ओर से इस प्रकरण में परिवाद में कथन किया कि मनोहरसिंह, गोकुलसिंह, प्रभुसिंह व ललितसिंह द्वारा दिनांक 02.03.2018 को करीब 1.30 बजे सेन्ट मीरा स्कूल, झाम्बु तालाब में जबकि परिवादी हरिओम सिंह बैठा हुआ था। आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक अनाधिकार स्कूल में घुसकर खिड़कियों के कांच, टेबल–कुर्सियां तोड़ दी। आवाज आने पर जब परिवादी ऑफिस से बाहर निकला तो अभियुक्तगण को मना किया और ऐसा करने पर परिवादी के साथ गाली–गलौच व मारपीट करने लगे तथा यह कथन किया कि अगर तेरे को यहां स्कूल व कॉलेज चलानी है तो पांच लाख रुपये विपक्षीगण को देने पड़ेंगे अन्यथा वे स्कूल को नहीं चलने देंगे। हल्ला किया और चौकीदार प्रेमसिंह, गणपतसिंह, पूरणसिंह और अन्य लोग इकट्ठे हो गये जिन्होंने परिवादी को छुड़ाया। अभियुक्तगण ने जाते हुये स्कूल नहीं चलाने की धमकी दी तथा उनके हाथों में लट्ठ इत्यादि होकर अभियुक्तगण द्वारा शराब भी पी रखी थी।

परिवादी की ओर से न्यायालय के समक्ष अपने परिवाद के समर्थन में ए.ड.1 हरिओम, ए.ड.2 गणपतसिंह, ए.ड.3 प्रेमसिंह व ए.ड.4 सुरेश की साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को थानाधिकारी थाना नाथद्वारा को जांच हेतु प्रेषित किया गया उस संबंध में भी विद्वान् अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क है कि विपक्षीगण मनोहरसिंह, गोकुलसिंह, प्रभुसिंह व ललितसिंह रसुखदार व्यक्ति है तथा नाथद्वारा पुलिस से उनसे तालुकात व मिलीभगत है। इस कारण उनके द्वारा इस प्रकरण में

पारदर्शी अनुसंधान नहीं किया गया और प्रकरण को रफा–दफा करने के उद्देश्य से जांच रिपोर्ट में नकारात्मक रिपोर्ट पेश कर दी।

न्यायालय द्वारा इस संबंध में थानाधिकारी थाना नाथद्वारा द्वारा दिनांक 10.05.2018 को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर भी गौर किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह जाहिर आया है कि पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट देने का आधार यह बनाया गया है कि विपक्षीगण के इस्तगासा नम्बर 126/18 अन्तर्गत धारा 107–151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व में पेश कराया गया और गवाहान के जो बयान लिये गये उनमें विरोधाभास है। इस अनुसार प्रकरण को जांच से झूठा पाया गया और नकारात्मक रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। न्यायालय द्वारा इस संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर गौर किया। पुलिस के द्वारा प्रेमसिंह के बयान दिनांक 29.04.2018 को लेखबद्ध किये गये। दिनांक 02.03.2018 को 11.30 बजे पर यह गवाह चौकीदारी कर रहा था। यह गवाह गेट पर खड़ा था तो गोकुलसिंह, मनोहरसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, रघुलाल व प्रभुसिंह व 3–4 व्यक्ति स्कूल में आये व आते ही गाली गलौच करने गे। हरिओमसिंह से व चौकीदार से भी गाली गलौच की तथा स्कूल के मैन गेट व बरामदा तक गाली गलौच करते हुये आये व धमकियां दी कि यहां से भाग जाओ वरना जान से खत्म कर देंगे तथा हरिओमसिंह के साथ धक्का धुम की। मौके पर हरिओमसिंह, गणपतसिंह व सुरेश था। पुलिस बयान प्रेमसिंह के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि परिवादी के परिसर में विपक्षीगण द्वारा प्रवेश किया गया, धमकी दी गई और परिवादी के साथ धक्का धुम की गई।

पुलिस बयान गणपतसिंह पर भी न्यायालय ने गौर किया। गणपतसिंह भी दिनांक 02.03.2018 की घटना से अपने कथनों में इन्कार नहीं करता है और मनोहरसिंह व अन्य 2–3 व्यक्तियों

के द्वारा स्कूल गेट के बाहर रास्ते पर हरिओमसिंह के साथ गाली गलौच व धक्का मुक्की की पुष्टि करता है। प्रेमसिंह व अन्य लोगों के द्वारा बीच बचाव किया गया और इस गवाह ने भी विपक्षीगण के द्वारा धमकियां देते हुये चले जाने की बात कही। धुलण्डी पर खेल होने की बात भी गणपतसिंह अपने पुलिस बयान में जाहिर करता है। पुलिस बयान सुरेश के अवलोकन से भी हरिओमसिंह के साथ गाली गलौच व धक्का मुक्की होने की बात की पुष्टि होती है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी के भी बयान लेखबद्ध किये गये हैं। परिवादी के बयानों से भी प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि मनोहरसिंह, गोकुलसिंह, प्रभुसिंह व ललितसिंह का नशे शराब में होकर चौकीदार के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट भी की तथा जान से मारने की एलानियां धमकी दी इसके पश्चात् सभी ऑफिस में घुस आये और ऑफिस में तोड़–फोड़ की और मना करने पर भी परिवादी के साथ मारपीट की। उस समय मौके पर काम कर रहे गणपतसिंह, सुरेश चौकीदार ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया अन्यथा उसके साथ अप्रिय घटना घट सकती थी।

प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष पुलिस ने धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जो जांच रिपोर्ट नकारात्मक प्रस्तुत की है, पुलिस बयानों के अवलोकन से उसके विपरीत स्थिति प्रकट हुई है। पुलिस बयानों के अवलोकन से यह प्रकट है कि मनोहरसिंह, गोकुलसिंह, प्रभुसिंह व ललितसिंह मौके पर गये उन्होंने परिवादी व उसके चौकीदार के साथ में मारपीट की, धक्का धुम की गई तथा धमकी दी तथा वे उस समय नशे शराब में थे व तोड़–फोड़ भी की गई। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष छाया चित्र भी मौजूद है जिनके अवलोकन से टूटी हुई स्टूल, टूटे हुये टेबल, टूटे हुये कांच की स्थिति प्रकट होती है जो प्राथमिक तौर पर पुलिस बयान परिवादी में अंकित तोड़–फोड़ की पुष्टि करते हैं। न्यायालय के समक्ष परिवादी की

ओर से परीक्षित होकर ए.ड.1 हरिओम सिंह की जो सशपथ साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई है उससे भी दिनांक 02.03.2018 को मनोहरसिंह, गोकुलसिंह, प्रभुसिंह व ललितसिंह के द्वारा खिड़कियों के कांच तोड़ने, टेबल कुर्सियां तोड़ने की पुष्टि होती है। साथ ही मौके पर हुई हाथापाई व धमकी देने की स्थिति को भी बल मिलता है व स्कूल चलाने के लिये पैसों की मांग भी की गई, इस आशय की स्थिति भी साक्ष्य के अवलोकन से प्रथम दृष्टया जाहिर आती है। ए.ड.2 गणपतसिंह भी दिनांक 02.03.2018 की घटना का अपनी साक्ष्य में समर्थन करता है। ए.ड.3 प्रेमसिंह व ए.ड.4 सुरेश गुर्जर भी दिनाकि 02.03.2018 को हुई घटना का अपनी साक्ष्य में समर्थन करते हैं और पत्रावली पर जो स्थिति प्रकट हुई है उस अनुसार पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट अविश्वसनीय जाहिर आती है। स्वयं पुलिस बयान तनिक विचलित होने के बावजूद घटना का तात्विक रूप से समर्थन करते हैं और न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कराई गई साक्ष्य प्रथम दृष्टया तात्विक रूप से दिनांक 02.03.2018 को हुई घटना का समर्थन करती है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह प्रकट है कि विपक्षीगण द्वारा आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक परिवादी हरिओम सिंह को धमकी दी गई, उसकी स्कूल के कांच और टेबल–कुर्सियां को नुकसान पहुंचाया गया और अवैध तरीके से स्कूल में घुसकर परिवादी के साथ हाथापाई की व उसके साथ गाली–गलौच भी की तथा धमकी देकर स्कूल और कॉलेज के संचालन के लिये पैसों की भी मांग की।

दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता परिवादी श्री भगवतीलाल टांक द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि परिवादी हरिओम सिंह व उसके संरक्षक नाथद्वारा मुख्यालय पर सेन्ट मीटरा कॉलेज के नाम से विधि महाविद्यालय का संचालन करते हैं और शिक्षा की अन्य रचनात्मक गतिविधियां करते हैं और उनके यहां कन्याएं, बालक तथा अन्य बच्चे पढ़ते हैं जिनके आने–जाने में विपक्षीगण

शराब पीकर आये दिन रास्ते में व्यवधान पैदा करते हैं तथा परोक्ष अपरोक्ष रूप से कई बार इस आशय की धमकी दी जा चुकी है कि तुम्हें स्कूल और कॉलेज चलाना है तो तुम्हें हफ्ता देना पड़ेगा और समय–समय पर पैसे देने पड़ेगे अन्यथा तुम्हारी स्कूल और कॉलेज नहीं चलने देंगे।

न्यायालय द्वारा पुलिस थाना नाथद्वारा से जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई और पुलिस ने जांच के दौरान जो बयानात लेखबद्ध किये उन बयानों के अवलोकन से भी परिवादी द्वारा अपने परिवाद में जो कथन अंकित किये हैं उनको बल मिलता है। न्यायालय के समक्ष यह प्रकट है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यंत्र पूर्वक परिवादी के साथ धमकी देकर दिनांक 02.03.2018 को धक्का मुक्की की तथा साथ ही स्कूल के परिसर में स्थित खिड़कियों के कांच व टेबल–कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया गया। यह ऐसी स्थिति है जो विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 447, 427, 384, 323, 120बी. भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिये जाने के आधार प्रदान करती है।

न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने और से अपराधी बनाने से पूर्व पूर्ण सावधानी से न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिये और पूर्ण सावधानी से अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करना चाहिये। न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा जो जांच की गई है और जो कथन लेखबद्ध किये गये हैं वे प्राथमिक तौर पर दिनांक 02.03.2018 को हुई घटना का समर्थन करते हैं और विद्वान् अधिवक्ता परिवादी द्वारा जो स्थिति प्रकट की गई है उस अनुसार यदि विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है तो शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में और कॉलेज के संचालन में निश्चित रूप से विपक्षीगण निरन्तर बाधा उत्पन्न करते रहेंगे और यह ऐसी स्थिति है जो विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 447, 427, 384, 323, 120बी. भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिये

जाने के सारपूर्ण आधार प्रदान करती है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाता है। अभियुक्तगण के नाम पते इस प्रकार है :–

1. मनोहरसिंह पिता गिरधारीसिंह आयु 59 वर्ष

2. गोकुलसिंह पिता भभुतसिंह आयु 35 वर्ष

3. प्रभुसिंह पिता मनोहरसिंह आयु 40 वर्ष

4. ललितसिंह पिता उंकारसिंह आयु 30 वर्ष

सभी जाति राजपूत सभी निवासी झाम्बु तालाब नाथद्वारा थाना नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रकरण दर्ज रजिस्टर रे.फौ. किया जावें। परिवाद फैसल किया जावें। प्रकरण में परिवाद पर दर्ज विचारण प्रक्रिया अपनायी जावें। अभियुक्तगण की तलबी के संबंध में भी परिवादी अधिवक्ता को सुना गया। विद्वान् अधिवक्ता परिवादी का यह तर्क है कि इस घटना के घटने के पश्चात् भी अभियुक्तगण निरन्तर परिवादी को धमकी दे रहे हैं तथा विद्यार्थियों के स्कूल और कॉलेज आने जाने के संबंध में भी शराब पीकर नित्य व्यवधान पैदा करते हैं और यह ऐसी स्थिति है जिसे रोकने के लिये तुरन्त अभियुक्तगण को वारण्ट गिरफ्तारी से तलब किये जाने की प्रार्थना की। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर किया। प्रकरण हालात में अभियुक्तगण को जरिये जमानती वारण्ट रुपये दस हजार से तलब किया जाना न्यायोचित है। पी.एफ. पेश होने पर नियमानुसार अभियुक्तगण को जरिये जमानती वारण्ट दस हजार रुपये से तलब किया जावें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते तलबी अभियुक्तगण दिनांक 30.06.2018 को पेश हो।

(लक्ष्मीकान्त वैष्णव)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा